133 29 लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी नीतियों एवं दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन

उपरोक्त उल्लिखित विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.07.2010 एवं दिनाँक 28.06.2011 का संदर्भ लेने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

2. सभी विषयों पर लोक शिक्षण संचालनालय दिशानिर्देशों के गैर–अनुपालन प्रमाणपत्र के अतिरिक्त विशिष्ट विषयों पर डीपीई गाइडलाइन के अनुपालन प्रमाणपत्र को शामिल करने हेतु वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (एसीआर) का प्रारुप संशोधित किया गया है। एसीआर का संशोधित प्रारुप यहां संलग्न किया जा रहा है जो 01.04.2015 से या उसके बाद की एसीआर हेतु लागू है।

3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा एसीआर प्रस्तुत करने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय के का.ज्ञ. सं. 14 (38)/10–वित्त दिनांक 29.07.2010 के द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं एवं प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों द्वारा समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत पर बार–बार जोर दिया जाता है।

4. प्रशासनिक मंत्रालय एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करने हेतु उचित कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

विषयः– लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई नीतियों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 216वीं रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कार्यान्वित नीतियों एवं दिशा निर्देशों के अर्थपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाने के क्रम में, समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से उनके द्वारा बनाई गई नीतियों एवं दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में सार्वजनिक उद्यमों के विकास से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट में मांगा जाना चाहिए एवं इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में इससे संबंधित अलग से पैराग्राफ सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2. उपरोक्त अनुशंसाएं सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। यह निर्णय लिया गया है कि सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बीत चुके वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के अंदर वार्षिक समेकित रिपोर्ट अपनी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होगी जिसको इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से समान प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सार्वजनिक उद्यम विभाग को अग्रेषित करना होगा। किसी भी दिशानिर्देश के गैर–अनुपालन के मामले में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त समेकित रिपोर्ट में उसका कारण एवं टिप्पणी को शामिल करना चाहिए।

3. प्रशासनिक मंत्रालय एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करने हेतु उचित कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

4. यह भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

[डीपीई का. ज्ञा. सं. डीपीई/**14/ (38)/10-**वित्त, दिनांक 29 जुलाई, 2010**]**

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम) को डीपीई द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर विभिन्न विषयों पर जारी सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है ..... केवल निम्नलिखित को छोड़करः–

क्र.सं.	विषय	लागू दिशानिर्देश डीपीई का. ज्ञा. सं. एवं तिथि	गैर अनुपालन/छूट का प्रदत्त कारण
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			

आगे, विशिष्ट डीपीई दिशा निर्देशों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र संलग्न किए जा रहें हैं।

(सीईओ के हस्ताक्षर)

सेवा में

सचिव (संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय /विभाग)

अनुलग्नक

विशिष्ट डीपीई दिशा निर्देशों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम ..... वित्तीय वर्ष .....0.00000।

क्र.सं.	विषय	लागू दिशानिर्देश डीपीई का. ज्ञा. सं. एवं तिथि	चाहें अनुपालन किया या नहीं	यदि नहीं, गैर अनुपालन का कारण/अभ्युक्तियां
1.	व्यय प्रबंधन– मितव्ययिता के उपाय और व्यय के युक्तिकरण के संबंध में	डीपीई/3(4)/2008–वित दिनांक 15.10.2013		
2.	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा बोनस शेयर जारी करना	डीपीई/13(21)/–वित दिनांक 25.11.2011 डीपीई/12(6)/1995–वित दिनांक 10.11.95		
3.	सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु सार्वजनिक खरीद नीति के आदेश 2012 का प्रभावी कार्यान्वयन	डीपीई/7(4)/2007–वित दिनांक 06.12.2012		
4.	लाभांश की घोषणा	डीपीई 15(10)/2004–जीएम दिनांक 18.10.2004		
5.	पीआरपी/पीएलआई/नगद पुरूस्कार का भुगतान/अनुग्रह राशि आदि का भुगतान	2(49)/98– डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 25.6.99 एवं 27.03.2000 2(70)/08– डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 26.11.08, 09.02.2009 और 2(21)/11डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 06.07.2011 2(18)/12–डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 18.09.2013		
6.	सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाशों की गणना	2(2)/85–डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 11.12.2008		
7.	सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश एवं अर्ध–भुगतानित अवकाशों का नगदीकरण	2(14)/2012–डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 17.07.2012		

8.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लीज/स्वयं की लीज पर प्रदत्त घरों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कार्यकारियों से किराए की वसूली	2(8)/91–डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 03.03.1992 2(50)/86–डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 19.07.1995 2(32)/10–डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 26.10.2010 2(68)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 20.03.2012
9.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अपने कार्यकारियों की ओर से रियायत कर का भुगतान करना	2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 26.11.2008
10.	तत्काल अवशोषण के नियम के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पद को भरना	सं.18(6)/2011–जीएम–जीएल–77 दिनांक 28.12.2010
11.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कॉरपोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देश	सं.18(8)/2005–जीएम दिनांक 14.05. 2010
12.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए मॉडल शिकायत निवारण प्रक्रिया	सं.16(84)/82–जीएम दिनांक 05.09.1985
13.	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर अध्यक्षीय अनुदेश	सं. 6(19)/1989–बीपीई (अनुसूचित जाति/जनजाति सेल) दिनांक 25.06.1991
14.	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर अध्यक्षीय अनुदेश	सं. 6(64)/94–डीईपी बीपीई (अनुसूचित जाति/जनजाति सेल) दिनांक 27.07.1995
15.	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में समूह ए में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण	सं. 6(21)/1995–डीईपी (अनुसूचित जाति/जनजाति सेल) दिनांक 11.03.1997
16.	सार्वजनिक उद्यमों में भूत–पूर्व सैनिक एवं विभागीय व्यक्तियों के लिए आरक्षण	सं. 6(55)/1979 – बीपीई (जीएम–1) दिनांक 22.01.1980
17.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अतिरिक्त वित्त का निवेश	डीपीई 4(3)/94–वित दिनांक 27.06.1994 डीपीई 4(6)/94–वित दिनांक 14.12.1994 डीपीई 4(6)/94–वित दिनांक 01.11.1995 डीपीई 4(6)/94–वित दिनांक 11.03.1996 डीपीई 4(6)/94–वित दिनांक 02.07.1996 डीपीई 4(6)/94–वित दिनांक 14.02.1997 डीपीई 4(6)/94–वित दिनांक 25.11.1999 डीपीई 4(6)/94–वित

दिनांक 29.09.2005 डीपीई 4(6)/94–वित दिनांक 31.08.2007 डीपीई 11(47)/2006–वित दिनांक 04.12.2007 डीपीई 11(47)/2006–वित दिनांक 11.04.2008 डीपीई 11(47)/2006–वित दिनांक 15.04.2008 डीपीई 11(47)/2006–वित दिनांक 14.08.2008 डीपीई 18(01)/2008–वित दिनांक 15.12.2008 डीपीई 11(15)/08–वित दिनांक 12.01.2009 डीपीई 18(01)/2008–वित दिनांक 24.02.2009 डीपीई 18(01)/08–वित दिनांक 13.08..2012

[डीपीई का. ज्ञा. सं. डीपीई**/14(38)/10-**वित्त, दिनांक 15 सितम्बर, 2014**]**

****